राजस्व वाद
नं. मु. सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व जो इस हुक्म में का
3/4/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी व वादिनी सामने उपस्थित होकर एक प्रार्थना सिविल वादिनी के लेने का पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अपना वाद विड्रा करने का पेश किया। जिस पर सुनवाई करके पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से वादिनी को अपना वाद विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादिनी का वाद विड्राल के आधार पर इसी तरह खारिज किया जाता है। वादिनी की पहचान वकील वादी ने की है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी	आपत्ति नहीं